

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email – ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276

ज्ञापन क्र./ ५१२५ / तक. / 2021-22

सूरजपुर दिनांक : ०९ / २ / 2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : सूरजपुर जिले अन्तर्गत ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर में प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत, लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर जिला/वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत 1.82 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का पर नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नवीन जिला कोर्ट भवन हेतु जिला न्यायधीश महोदय एवं कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त भूमि का चयन किया गया है।

जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर अन्तर्गत खसरा क्रमांक 529 कुल रकबा 6.394 हेक्टेयर में से 1.82 हेक्टेयर भूमि का चयन जिला न्यायधीश महोदय एवं कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। उक्त भूमि खसरा क्रमांक 529 वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में छोटे झाड़ के जंगल मद पर दर्ज है। 1.82 हेक्टेरी राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीयन आवश्यक है, आवेदित राजस्व वन क्षेत्र पर वर्तमान किसी प्रकार के बड़े वृक्ष नहीं हैं केवल झाड़िया हैं, और ना ही किसी प्रकार का भवन/मकान निर्मित किया गया है। गैर वानिकी प्रयोजन लिए प्रस्ताव के पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 6000/- डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक "218648" दिनांक 29.01.2022 एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 18000/- डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक "218649" दिनांक 29.01.2022 स्टेट बैंक सूरजपुर द्वारा जारी, वनमंडलाधिकारी सूरजपुर के नाम पर देय तथा अन्य सहपत्रों सहित आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अतः आपसे निवेदन है कि 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीयन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)